23

संख्या-1187/XVII-5/17-09(30)/2013

[redacted]क,
आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

(ii) मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।

(iii) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(iv) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

(v) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल), देहरादून।

सैनिक कल्याण विभाग देहरादून : दिनांक 12 सितम्बर, 2017

विषय : उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को प्रतिकर अवकाश की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–323/XVII-3/13-09(17)/2004, दिनांक 12 जून, 2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत् कार्मिकों को अवकाश के सम्बन्ध में शासनादेश के प्रस्तर–7 एवं 8 में निम्नवत् व्यवस्था की गयी है :–

(7) उपनल के कार्मिकों को साप्ताहिक अवकाश (रविवार अथवा जो भी दिन अनुमन्य हों), 03 राष्ट्रीय अवकाश (महात्मा गांधी जयन्ती, गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस), 12 दिन आकस्मिक अवकाश और 15 दिन अर्जित अवकाश सवेतन लागू होंगे, किन्तु यदि कार्यालय अवकाश दिन भी कार्य हेतु संचालित रहता है तथा अन्य कार्मिक भी सेवा हेतु उपस्थित रहते हैं, तो उपनल के कार्मिक भी कार्य हेतु अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

(8) अवकाश राहत केवल उन्ही कार्मिकों को देय है, जिन्हें उक्त प्रस्तर में उल्लिखित कोई अवकाश प्रदान नहीं किया जाता है।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा उपनल के माध्यम से आउटसोर्स पर प्रायोजित कार्मिकों को उक्त शासनादेश के अनुसार अवकाश प्रदान नहीं किया जा रहा है, जबकि शासनादेश में अवकाश के सम्बन्ध में स्पष्ट व्यवस्था है।

अतः इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपनल के कार्मिकों को साप्ताहिक अवकाश (रविवार अथवा जो भी दिन अनुमन्य हो), 03 राष्ट्रीय अवकाश (महात्मा गांधी जयन्ती, गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस), 12 दिन आकस्मिक अवकाश और 15 दिन अर्जित अवकाश सवेतन अनुमन्य होंगे, किन्तु यदि कार्यालय अवकाश के दिन को भी कार्य हेतु संचालित रहता है तथा उपनल कार्मिक अवकाश दिवस में भी सेवा हेतु उपस्थित रहते हैं, तो ऐसे उपनल कार्मिकों को उस अवकाश के एवज में वर्ष के अन्तर्गत प्रतिकर अवकाश के रूप में अवकाश अनुमन्य किया जायेगा।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

GO UPNAL 2016

<u>पृष्ठांकन संख्या — (1)/XVII-5/17-09(30)/2013 : तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त वरिष्ट कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिह रावत)
अपर सचिव।